न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/187

1. भैरूलाल आयु 65 वर्ष
2. उद्दा आयु 50 वर्ष
3. रामकरण आयु 48 वर्ष
4. रामरतन आयु 45 वर्ष
5. रामनारायण आयु 40 वर्ष पिसरान श्री छोटा जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम गागोस तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. बृजबिहारी आयु 80 वर्ष आत्मज स्व0 श्री कल्याण लाल जी जाति ब्राह्मण निवासी गागेस हाल निवासी कागदी देवरा बून्दी जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अशोक कुमार आयु 60 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी प्रताप नगर तहसील रोड बून्दी जिला बून्दी ।
2. अश्वनी कुमार आुय 56 वर्ष आत्मज श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कागदी देवरा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 19/206

1. सुखलाल आयु 80 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी गागोस तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. लटूर आयु 70 वर्ष आत्मज श्री किशोर जाति गुर्जर निवासी गागोस तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. प्रभू आयु 50 वर्ष आत्मज श्री गीता जाति भील निवासी गागोस तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. जसवन्त सिंह आयु 69 वर्ष आत्मज श्री गुरूबक्श सिंह जाति सिख निवासी गागोस तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. हरला आयु 60 वर्ष आत्मज श्री घांसी जाति गुर्जर निवासी गागोस तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अशोक कुमार आयु 60 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी प्रताप नगर तहसील रोड बून्दी जिला बून्दी ।
2. अश्वनी कुमार आुय 56 वर्ष आत्मज श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कागदी देवरा तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सोहन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में

निर्णय

दिनांकः 17.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गागोस रिजूम तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 28 किता की 44 बीघ 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि हवाला माफीदार रमाबल्लभ जी के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि माफी की भूमि थी जिस पर माफीदार रमाबल्लभ जी काबिज काश्त रहे तथा माफी रिजूम होने के बाद भी बतौर जोता उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा । नियमानुसार रमाबल्लभ जी उक्त भूमि के काश्तकार आसामी हो गये हैं । रमाबल्लभ जी के देहान्त के बाद उनके एक मात्र वारिस होने के कारण उक्त भूमि के खातेदार अधिकार उनकी पुत्री श्रीमती विजय कंवर पत्नी भंवर लाल तथा अशोक कुमार पुत्र भंवर लाल का अधिकार बना क्योंकि रमाबल्लभ जी ने मृत्यु से पूर्व उक्त भूमि का वसीयतनामा दोनों के नाम निष्पादित कर दिया था । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर सरकार खातेदार दर्ज कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को हटाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने दोनों अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2019 निरस्त करने का कथन किया ।

7. दोनों अपीलों में अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे किन्तु उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर वादग्रस्त आराजी सन् 1970 एवं 1973 में क्रय की थी और क्रय करने से पूर्व से ही निरन्तर कब्जे में चली आ रही है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं है । वादग्रस्त आराजी रमाबल्लभ जी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी थी । अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्टगण के हित प्रभावित हुए हैं । अतः अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण ने वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जाना बताया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित होना कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. दोनों अपीलों में अपीलान्टगण ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । अपीलान्टगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है । वादीगण ने इन समस्त तथ्यों को छिपाकर दावा डिक्री करवा लिया जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.06.2019 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपील संख्या 19/187 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.02.2019 को रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट कम 01 और 02 के द्वारा एक दावा हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसे दिनांक 27.02.2019 को डिकी किया गया न तो सम्मन जारी किये गये न ही प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । सरकारी खाते की 44 बीघा 17 बिस्वा आराजी वाके ग्राम गागोस में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जबकि यह आराजी अपीलान्टगण एवं अन्य कृषकों के अधिकार एवं आधिपत्य में विगत 60 वर्षों से चली आरही है । कब्जे का कोई विवेचन नहीं किया गया है, दस्तावेजात को किसी स्वतंत्र गवाह से प्रमाणित नहीं किया है । प्रदर्श– 14 ए दानपत्र है जो उचित स्टाम्प पर अंकित नहीं है । यह दानपत्र रायता की भूमि के बारे में है जो इस प्रकरण में विवादित नहीं है । प्रदर्श– 15 ए वसीयतनामा है जिसे कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं किया है । पीठासीन अधिकारी का दिनांक 25.02.2019 को स्थानान्तरण हो गया था फिर भी निर्णय पारित किया गया है । यह कृत्य विधिक परम्परा के अनुकूल नहीं है । अपीलान्ट कम 06 बृजबिहारी के पिता श्री कल्याण मल ग्राम गागोस के 1/3 भाग के जागीरदार थे और श्री रमाबल्लभ जी 1/3 हिस्से के जागीरदार थे किन्तु उन्होंने अधिकारियों से मिलीभगत करके अपना अकेला का नाम दर्ज करा लिया जिसका रिकॉर्ड में संशोधन कराने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट कम 06 ने दिनांक 25.04.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा में पेश किया था । अपीलान्ट कम 01 ने 03 बीघा, अपीलान्ट कम 02 ने 02 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.1970 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । अपीलान्ट कम 03 ने 01 बीघा 09 बिस्वा, अपीलान्ट कम 04 ने 02 बीघा 12 बिस्वा तथा अपीलान्ट कम 05 ने दिनांक 28.12.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । अपीलान्टगण पीडित पक्षकार हैं उन्होंने आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है दिनांक 27.02.2019 को निर्णय पारित किया गया है उसमें अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे इस कारण धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है एवं धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

12. अपील संख्या 19/206 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.02.2019 को रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट कम 01 और 02 के द्वारा एक दावा हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसे दिनांक 27.02.2019 को डिकी किया गया न तो सम्मन जारी किये गये न ही प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । सरकारी खाते की 44 बीघा 17 बिस्वा आराजी वाके ग्राम गागोस में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जबकि यह आराजी अपीलान्टगण एवं अन्य कृषकों के अधिकार एवं आधिपत्य में विगत 60 वर्षों से चली आरही है । कब्जे के कोई विवेचन नहीं किया गया है, दस्तावेजात को किसी स्वतंत्र गवाह से प्रमाणित नहीं किया है । प्रदर्श– 14 ए दानपत्र है जो उचित स्टाम्प पर अंकित नहीं है । यह दानपत्र रायता की भूमि के बारे में है जो इस प्रकरण में विवादित नहीं है । प्रदर्श– 15 ए वसीयतनामा है जिसे कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं किया है । पीठासीन अधिकारी का दिनांक 25.02.2019 को स्थानान्तरण हो गया था फिर भी निर्णय पारित किया गया है । यह कृत्य विधिक परम्परा के अनुकूल नहीं है । वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 09.03.1966 को मुख्तार सिंह एवं अर्जुन सिंह को विक्रय किया गया था । मुख्तार सिंह

एवं अर्जुन सिंह ने यह आराजी दिनांक 16.05.1967 को नन्दकुमार एंव इन्द्र कंवर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी और इन व्यक्तियों ने यह आराजी अपीलान्टगण एवं अन्य कृषकों को विक्रय कर दी । अपीलान्ट क्रम 01 ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 65 रकबा 13 बिस्वा कुल 02 कुल की रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा दिनांक 02.06.1972 को तत्कालीन खातेदार नन्द कुमार से क्रय की और कब्जा प्राप्त किया । अपीलान्ट क्रम 02 ने खसरा नम्बर 100 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 21.05.1971 को तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 94 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिनरांक 03.06.1973 को तत्कालीन खातेदार श्रीमती इन्द्र कौर पत्नी श्री सरदार सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी । इसके अलावा प्रभू भील ने 02 बीघा, जसवन्त सिंह ने 03 बीघा एवं हरला गुर्जर ने 04 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड तत्कालीन खातेदार से क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था । अपीलान्टगण पीडित पक्षकार हैं उन्होंने आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । दिनांक 27.02.2019 को निर्णय पारित किया गया है उसमें अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे इस कारण धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है एवं धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने हक घोषणा का दावा पेश किया था वो रमाबल्लभ के वारिस हैं । आराजी माफी की थी और इस पर हमेशा से ही रमाबल्लभ काबिज काश्त रहे हैं । माफी रिज्यूम होने के बाद बतौर जोता रमाबल्लभ पुत्र फतेहलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है । रमाबल्लभ जी की सन् 1979 में मृत्यु हो चुकी है । उनके वारिस उनकी पुत्री श्रीमती विजय कंवर और अशोक कुमार पुत्र भंवर लाल बने । रमाबल्लभ ने मृत्यु से पूर्व वसीयतनामा उन दोनों के नाम निष्पादित किया गया है । भू–प्रबन्ध विभाग ने मनमाने तौर से आराजी को सरकारी दर्ज किया था । इस कारण हक घोषणा का दावा पेश किया था । यदि अपीलान्टगण के पक्ष में कोई विक्रय पत्र तो उन्होंने इतने साल तक अपने पक्ष में नामान्तरकरण क्यों नहीं खुलवाया । नन्दकुमार को आराजी को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलान्टगण ने खसरा मिलान पेश नहीं किया है । बिना खसरा मिलान के यह साबित नहीं हो सकता कि उनके द्वारा क्रय की गई आराजी वादग्रस्त ही है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2019 बहाल रखा जावे ।

14. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

15. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में न्यायालय सहायक कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 29.07.1975 की फोटो प्रति, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष रमाबल्लभ द्वारा पेश की गई अपील की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके पैरा संख्या 04 में यह अंकित किया गया है कि ग्राम गागोस की 61 बीघा कृषि भूमि सन् 1966 में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा इन्द्र सिंह एवं मुख्तार

सिंह जाति सिख निवासी गागोस को बेचान की जा चुकी है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 27.10.1975 की प्रमाणित प्रति है जिसमें प्रकरण को रिमाण्ड किया गया और और न्यायालय सहायक कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 10.11.1976 की प्रमाणित प्रति पेश की है । पेश किये गये दस्तावेज न्यायालयों के निर्णय व अपील की प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जसकता । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि रमाबल्लभ स्वयं ने सीलिंग की कार्यवाही के दौरान यह कथन किया था कि ग्राम गागोस की आराजी 61 बीघा का बेचान सन् 1966 में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से बेचान किया जा चुका है ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

17. अधीनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 18.02.2019 को दर्ज हुआ है और इसमे तलबी हेतु दिनांक 22.02.2019 की तारीख दी गई है । दिनांक 22.02.2019 की आदेशिका में अंकित है कि पैरोकार सरकार जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं सीधे ही बहस करना चाहते हैं । इसके उपरान्त दिनांक 25.02.2019 तारीख नियत की गई और दिनांक 25.02.2019 को वादी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाना अंकित किया गया है । साक्ष्य में अशोक कुमार और अश्वनी कुमार जो कि वादी हैं उनके ही बयान कराये गये हैं कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है । उनसे पैरोकार सरकार के द्वारा जिरह भी नहीं की गई है । बख्शीशनामा न तो प्रमाणित है और न ही असल है । फोटो प्रति को प्रदर्श करवाया गया है । इसी प्रकार वसीयतनामा की फोटो प्रति को प्रदर्शित करवाया गया है । वसीयतनामे को भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित नहीं करवाया गया है । वादी की साक्ष्य दिनांक 25.02.2019 को ही बन्द की गई है । प्रतिवादी सरकार की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई और दिनांक 25.02.2019 को ही बहस सुनी जाकर दिनांक 27.02.2019 को हक घोषणा का दावा डिक्री किया गया है ।

18. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण दिनांक 25.02.2019 को हो चुका था । हक घोषणा के दावे में सरकारी सिवाय चक आराजी पर हक घोषणा का वाद मात्र 09 दिन के अन्दर डिक्री किया है । सरकारी की तलबी के उपरान्त पैरोकार के द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना अंकित किया गया है और बिना सरकार की साक्ष्य लिये, बिना वादी की ओर से कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिये दावा वादी डिक्री किया गया है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । इस प्रकरण में पैरोकार की भूमि भी उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने सरकार का पक्ष रखने के लिए जवाब एवं साक्ष्य पेश करनी चाहिए थी ।

19. सरकारी सिवायचक आराजी पर हक घोषणा के दावे को 09 दिन के भीतर बिना विधिक प्रकिया अपनाये डिक्री किया जाना पीठासीन अधिकारी के आचरण को दर्शाता है जो कि उचित नहीं ठहराया जा सकता । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, बून्दी को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी एंव पैरोकार सरकार के खिलाफ उचित कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जावे । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार तालेडा की ओर से आज दिन तक इस प्रकरण में अपील पेश नहीं की गई है जबकि प्रकरण में सरकार के हित प्रभावित हुए हैं ।

20. अपीलान्टगण का यह कथन है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है वह इस प्रकरण में वो हितबद्ध पक्षकार हैं । उनके द्वारा सीलिंग के प्रकरण में पारित निर्णय की प्रतियॉ और अपने पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं । हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 19/187 एवं 19/206 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर और इस प्रकरण में सीलिंग में पारित निर्णय को मध्यनजर रखकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, बून्दी एवं तहसीलदार तालेडा को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

22. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा